

6.4.18

पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर  
दौर/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में  
ब्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की  
पालना में दिनांक 25-6-18 को पेश हो।

आदेशामुत्तर

पीठा

याय आपक द्वार अभियान - 201

25.6.18

पत्रावली पेश हुई। विभाजन उत्तम प्राप्त  
का मिलना है। कृपया व उत्तराधिकारी के प्रथम उत्तर  
के संनिधान हुआ है जो कि मिलना है उत्तराधिकारी  
व इनके अधिकारकर्ता पूर्व में उपस्थित नहीं माने  
जो अनुपस्थित नहीं है। संनिधान डिक्री जारी की  
जारी। पत्रावली प्रथम गुणा हो वा नम्बर दे  
का है व वास्तविक पत्रावली है

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत कैम्प कोर्ट

दस्ता

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार- 2015

प्राथमिक डिक्की व मुकदमें इक्ताई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

पांचू बनाम शिवराज


दावा बाबत :- 53, 88, 188 आर.टी.ए. 1955,

राजस्व मुकदमा नम्बर - 71/2014  
पेश करने की दिनांक - 2.6.14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री जयप्रकाश नारायण (आर. ए. एस) - व हाजिर सीताराम रावतश्री अभिभाषक मुद्दई धमेन्द्र जैन व तहसीलदार नसीराबाद अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्की दी जाती है कि :-

ग्राम देरादू के खसरा नम्बर 4240 रकबा 0.47, 4241 रकबा 0.49 व 4241/7502/0.01 है0 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर समस्त सहखातेदारों की उपस्थिति में विधिवत विभाजन प्रसताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।



  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक \_\_\_\_\_ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह जून सन् 2015 को जारी की गयी।

मुददई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद